मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४० सन् २०१९

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१९

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा १३ का संशोधन.

४. धारा १९ का संशोधन.

५. धारा २२ का स्थापन.

६. धारा ३३ का संशोधन.

७. धारा ४० का संशोधन.

८. धारा ४७ का स्थापन.

९. धारा ५० का संशोधन.

१०. धारा ५९ का संशोधन.

११. धारा ६७ का स्थापन.

१२. धारा ७२ का संशोधन.

१३. धारा १०८ का संशोधन

१४. धारा ११० का संशोधन.

१५. धारा ११४ का संशोधन.

१६. धारा १२९ का संशोधन.

१७. धारा १३४ का संशोधन.

१८. धारा १५८ का संशोधन.

१९. धारा १६५ का संशोधन.

२०. धारा १७६ का अंत:स्थापन.

२१. धारा १८३ का संशोधन.

२२. धारा २४४ का स्थापन.

२३. धारा २४५ का स्थापन.

२४. धारा २४८ का संशोधन.

२५. धारा २५७ का संशोधन.

२६. धारा २५८ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४० सन् २०१९

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें उसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में उप-धारा (१) में, खण्ड (प) के स्थान प, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(प) 'राजस्व अधिकारी' से अभिप्रेत है, धारा ११ में उल्लिखित राजस्व अधिकारी;".

धारा १३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

(एक) उपधारा (२) के परंतुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाये, अर्थात्:—

"(३) राज्य सरकार, किसी भी संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों, उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, ऐसे प्रस्तावों पर विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी.".

धारा १९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (२) एवं उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(२) कलक्टर, किसी तहसीलदार को किसी तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो वहां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं, जैसा कि जिले का कलक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.".

धारा २२ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"२२ **उपखण्ड अधिकारी.**—कलक्टर, किसी सहायक कलक्टर या संयुक्त कलक्टर या डिप्टी कलक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.".

धारा ३३ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द एवं अंक "धारा ४१" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "धारा २५८" स्थापित किए जाएं.

धारा ४० का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४० में, शब्द "इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार" का लोप किया जाए.

धारा ४७ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**४७. अपीलों की परिसीमा.**—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिये परिसीमा अवधि, आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है की तारीख से, पैंतालीस दिन होगी:

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहां अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.".

धारा ५० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उपधारा (३) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा कर देता; या".

धारा ५९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (९) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(९) यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु ऐसा पुनर्निधारित भू-राजस्व व्यपवर्तन की वास्तविक तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए, देय होगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.".

११. मूल अधिनियम की धारा ६७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ६७ का स्थापन.

"६७.—**सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भूखण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में, ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.**—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

(क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कर सकेगा तथा उस पर उतनी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हों;

(ख) यदि ऐसी भूमि कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में है तो ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ग) यदि ऐसी भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में है तो ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(घ) भूमि, जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है, के ब्लाक को भूखण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भूखण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भूखण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन भूखण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ङ) सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉकों को नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भूखण्ड इस संहिता के अधीन भूखण्ड समझें जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भूखण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.".

१२. मूल अधिनियम की धारा ७२ में, शब्द "ऐसी दरों पर, जैसी की विहित की जाएं," के स्थान पर, शब्द "धारा ५९ एवं ६० के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार" स्थापित किए जाएं. धारा ७२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १०८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा १०८ का संशोधन.

"(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व, यदि कोई हों;".

१४. मूल अधिनियम की धारा ११० में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ११० का संशोधन.

"(१) पटवारी या नगर सर्वेक्षक या धारा १०९ के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आए, इस प्रयोजन हेतु विहित किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा.".

धारा ११४ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा ११४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) धारा १०७ के अधीन ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा;".

धारा १२९ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा १२९ में, उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(८) धारा ४४ तथा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा.".

धारा १३४ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा १३४ में, शब्द एवं अंक "धारा १३१, १३२ या १३३" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "धारा १३१ या १३३" तथा शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

धारा १५८ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके पश्चात् धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित कर सकेगा:—

(एक) मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २ के खंड (२०) में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की क्रमशः धारा ३८ तथा ६४ के अधीन गठित किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण;

(तीन) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल;

(चार) कम्पनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार ५१ प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करती है;

(पांच) कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है;

(छह) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई शासकीय सत्ता जिसे भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है.".

धारा १६५ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा १६५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) इस धारा के अन्य उपबंधों, धारा १५८ की उपधारा (३) के परंतुक के उपबंधों और धारा १६८ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई हित अंतरित कर सकेगा.".

धारा १७६ का अंत: स्थापन.

२०. मूल अधिनियम की धारा १७५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"१७६. **खाते का परित्याग.**—(१) यदि कोई भूमिस्वामी, जो अपने खाते पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पाँच वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को जिसमें कि वह सामान्यत: निवास करता है, छोड़ दिया हो, तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में एक कृषि वर्ष की कालावधि के लिए भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था कर सकेगा.

(२) जहां भूमिस्वामी या भूमि के लिए विधिपूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति, उस तारीख के, जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिए दावा करता है, वहां वह भूमि, शोध्यों का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया जाने पर तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसी कि तहसीलदार ठीक समझे, उसे वापस दिला दी जाएगी.

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है और वह नामंजूर कर दिया जाता है तो तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझे, उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा और वह खाता ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगा.

(४) जहां कोई खाता उपधारा (३) के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है, वहां राजस्व की उस बकाया के संबंध में जो कि उस खाते के बाबत् उस भूमिस्वामी से शोध्य हों, उस भूमिस्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा.".

धारा १८३ का संशोधन.

२१. मूल अधिनियम की धारा १८३ में, उपधारा (६) में, शब्द "राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से" विलोपित किए जाएं.

धारा २४४ का स्थापन.

२२. मूल अधिनियम की धारा २४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२४४. **आबादी स्थल का निपटारा.**—इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमिस्वामी अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा.".

धारा २४५ का संशोधन.

२३. मूल अधिनियम की धारा २४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२४५. **भू-राजस्व मुक्त गृह स्थल धारण करने का अधिकार.**—आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेंशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यत: ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा.".

धारा २४८ का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा २४८ में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा २३७ के अधीन" के पश्चात् शब्द तथा अंक "या धारा २३३-क के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई हो" अंत: स्थापित किए जाएं.

धारा २५७ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा २५७ में,—

(एक) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न;";

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द "बन्दोबस्त अधिकारी" के स्थान पर, "जिला सर्वेक्षण अधिकारी" स्थापित किए जाएं.

धारा २५८ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा २५८ (२) में,—

(एक) खण्ड (एक-क) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "धारा १३ (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक "धारा १३ की उपधारा (३)" स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) निर्धारण की दरें, प्रीमियम का अधिरोपण और भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण और धारा ५९ के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;";

(तीन) खण्ड (आठ) का लोप किया जाए;

(चार) खण्ड (तेईस) में,—

(क) उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट करना, प्रज्ञापना;";

(ख) उपखण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ) नोटिस का लेख, उसकी प्रज्ञापना या उसका प्रदर्शित किया जाना;";

(पांच) खण्ड (अठ्ठाईस) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया, अर्थात्:—

"(अठ्ठाईस-क) रीति जिसमें किसी व्यक्ति को धारा १२६ के अधीन संक्षेपत: बेदखल किया जाए;";

(छ:) खण्ड (तैंतीस) का लोप किया जाए;

(सात) खण्ड (पैंतालीस-क) का लोप किया जाए;

(आठ) खण्ड (चौवन) का लोप किया जाए;

(नौ) खण्ड (सत्तावन-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया, अर्थात्:—

"(सत्तावन-क) धारा २३३-क के अधीन संधारित रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना ;";

(दस) खण्ड (अड़सठ) का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्रमांक २३ सन् २०१८) के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट है) की कुछ धाराओं में आनुषंगिक संशोधन किए जाना अपेक्षित है. संहिता की कुछ धाराओं में उनके सही अर्थान्वयन के लिए भी कुछ धाराओं में भाषायी उपांतरण आवश्यक हैं.

२. यह प्रस्तावित है कि संहिता की धारा १३४ के अधीन किसी मान्यताप्राप्त सड़क या पथ पर कोई अधिक्रमण या बाधा पहुंचाने को प्रविरत रखने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने वाले स्वीय बंधपत्र की राशि में वृद्धि की जाए.

३. यह भी प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २ के खण्ड (२०) में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा ३८ तथा ६४ के अधीन क्रमशः गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, कम्पनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार इक्यावन प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करती है, कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित की गई है या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई शासकीय सत्ता जिसे भूमि स्वामी अधिकारों में भूमि आवंटित है, को धारा १५८ की उपधारा (३) के अधीन अधिरोपित भूमि के अंतरण पर निर्बधंनों से मुक्त रखा जाए.

४. यह अनुभव किया है कि संहिता की निरसित धारा १७६ जिसमें कि खाते के त्यजन की प्रक्रिया का उपबंध था, कतिपय अतिरिक्त रक्षोपायों के साथ वापस लाया जाना होगा. अतएव धारा १७६ का अंतःस्थापन प्रस्तावित है.

५. यह भी प्रस्तावित है कि किसी नगरीय क्षेत्र में स्थित सेवा भूमि आदि के लिये संहिता की धारा १८३ की उपधारा (६) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता को हटाया जाए, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों का विस्तारण किया जाना सतत् प्रक्रिया है.

६. यह भी प्रस्तावित है कि आबादी स्थल भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित किए जाएं.

७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १८ दिसम्बर, २०१९.

गोविन्द सिंह राजपूत

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा जिन खण्डों के द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

(१) खण्ड ३ : संभाग, जिले, उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु आपत्तियां आमंत्रित किए जाने संबंधी प्रारूप विहित किए जाने; तथा

(२) खण्ड २६ (पांच) व्यक्ति को धारा १२६ के अधीन संक्षेपत: बेदखल किए जाने की रीति
(नौ) संधारित रखे जाने वाले अभिलेख को विहित किये जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) से उद्धरण

* * * *

धारा २ (प)—''राजस्व अधिकारी'' इस संहिता के किसी उपबंध में राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के अधीन के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निर्देश दे;

* * * *

धारा १३—संभागों जिलों, उपखंडों तथा तहसीलों को परिवर्तित करने, सृजित करने या समाप्त करने की शक्ति— (१) राज्य शासन संभागों की सृजन कर सकेगा जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगा या उनकी सीमाओ में परिवर्तन कर सकेगा.

(२) राज्य सरकार, किसी भी जिले या उप खण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी;

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी प्रस्थापनाओं के लिए, विहित प्ररूप में आपत्तियाँ आमंत्रित करेगी और प्राप्त की गई आपत्तियों पर यदि कोई हों, विचार करेगी.

* * * *

धारा १९(२) एवं (३)—(२) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वार या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी हों, तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो उसमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को अधिरोपित किए गये हैं जैसा कि जिले का कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.

* * * *

धारा २२—उपखण्ड अधिकारी.—कलेक्टर किसी सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भार-साधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.

* * * *

धारा ३३(१)—व्यक्तियों के हाजिर होने तथा दस्तावेजों पेश किये जाने की अपेक्षा करने तथा साक्ष्य लेने की राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ—(१) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) की धारा १३२ तथा १३३ के उपबंधों तथा धारा ४१ के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि

वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन उद्‌भूत होने वाली किसी जाँच या मामले के प्रयोजनों के लिये साक्ष्य ले, किसी ऐसे व्यक्ति को समन करें जिसकी कि हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिये या साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिये कोई दस्तावेज पेश करने के लिये वह आवश्यक समझे.

* * * *

धारा ४०—अनुसूची १ में के नियमों का प्रभाव—अनुसूची १ में के नियम, जब तक कि वे इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बातिल या परिवर्तित न कर दिये जायें, इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानों कि वे इस संहिता के कलेवर में अधिनियमित किये गये हैं.

* * * *

धारा ४७—''अपीलों की परिसीमा.—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिए परिसीमा अवधि, अपील के लिए आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन होगी:

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहाँ अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व, संहिता में यथा उपबंधित अनुसार होगी:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेशों के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.''.

* * * *

धारा ५०(३) (क)—(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया हो, तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा करता हो; या

धारा ५९(९)—यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन विहित अवधि के भीतर व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निधारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु पुनर्निर्धारित भू-राजस्व अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे व्यपवर्तन की तारीख से देय होगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.

* * * *

धारा ६७ —सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भू-खण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

(क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कराएगा तथा उस पर ऐसी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितनी कि आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्याकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्याकों को पुनर्गठित कर सकेगा या कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ग) ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(घ) ब्लाक को भू-खण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भू-खण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भू-खण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;

(ङ) नगरेतर क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लाक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर के रूप में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भू-खण्ड इस संहिता के अधीन भू-खण्ड समझे जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवास और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भूखण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.

* * * *

धारा ७२—निर्धारण.—जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक खाते पर, ऐसी दरों पर, जैसी विहित की जाएं, निर्धारण नियत करेगा.

* * * *

धारा १०८ (घ) (एक)—(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने हितों के प्रकार और शर्तें तथा दायित्व, यदि कोई हों;

* * * *

धारा ११० (१)—(१) पटवारी या धारा १०९ के अधीन नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन के, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के विहित किया गया है.

* * * *

धारा ११४ (१) (क)—ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा धारा १०७ के अधीन ब्लॉक का नक्शा;

* * * *

धारा १२९ (८)—धारा ४४ तथा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, पारित किए गए किसी आदेश के या इस धारा के अधीन की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा.

* * * *

धारा १३४—कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिये बन्धपत्र का निष्पादन—किसी भी ऐसे व्यक्ति से; धारा १३१, १३२ या १३३ के अधीन कोई अधिक्रमण करेगा या कोई बाधा पहुँचाएगा, तहसीलदार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति करने से विरत रहने के लिये पाँच सौ रुपये से अनधिक ऐसी राशि का, जो कि तहसीलदार ठीक समझे, स्वीय बन्धपत्र निष्पादित करे.

* * * *

धारा १५८—"परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति, पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि को अंतरित नहीं करेगा और तत्पश्चात् ऐसी भूमि का अंतरण, धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करके कर सकेगा.".

* * * *

धारा १६५(१)—इस धारा के अन्य उपबंधों के तथा धारा १६८ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि का कोई हित अंतरित कर सकेगा.

* * * *

धारा १७६—विलोपित

* * * *

धारा १८३(६)—(६) ऐसी सेवा भूमियां जो—

(क) नगरीय क्षेत्र में;

(ख) ऐसे क्षेत्र में, जिसके लिए विकास योजना अनुमोदित की गई; या

(ग) ऐसे क्षेत्र में, जो राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की बाह्य सीमा से बाहर अवस्थित हैं,

राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से-सेवा भूमि नहीं रह जाएंगी और तहसीलदार भू-अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन कराएगा.

* * * *

धारा २४४—आबादी स्थलों का आवंटन—इस संबंध में बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में पट्टे पर आबादी स्थलों का आवंटन करेगा.

* * * *

धारा २४५—''भू-राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार—आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेंशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो भूमि धारण करता है या ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यत: ऐसे ग्राम में खेती की जाती है, या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता हैं, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा.''.

* * * *

धारा २४८(१)—अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिये शास्ति—(१) कोई भी व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से दखल रहित भूमि, आबादी, सेवा भूमि या किसी ऐसी भूमि पर, जो धारा २३७ के अधीन किसी विशेष प्रयोजन के लिये पृथक् रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर, जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी, निगमित निकाय की संपत्ति हो कब्जा कर लेते हैं या उस पर कब्जा बनाये रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्त: बेदखल किया जा सकेगा और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो उसने उस पर निर्मित किया हो, यदि ऐसे समय के भीतर, जैसा कि तहसीलदार नियत करे, उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है, तो अधिहरित किया जा सकेगा. इस प्रकार अधिहरित की गई संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जायेगा और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा. ऐसा व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा तथा ऐसे और जुर्माने के, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसको ऐसा अप्राधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात् चालू रहे, गैर नगरीय क्षेत्रों में पांच सौ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में दो हजार रुपये तक हो सकता है, लिये भी दायित्वाधीन होगा. तहसीलदार सम्पूर्ण जुर्माने या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिये उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अधिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो:

* * * *

धारा २५७ (ख) एवं (ग)—(ख) राजस्व सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न या बंदोबस्त की अवधि के बारे में कोई प्रश्न;

(ग) बंदोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा आबादी का अवधारण करते हुए किये गये किसी विनिश्चय को उपान्तरित करने के लिये कोई दावा;

* * * *

धारा २५८ (२)—(एक-क) धारा १३(२) के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररूप विहित किया जाना;'';

''(तीन) धारा ५९ के अधीन निर्धारण की दरें, प्रीमियम तथा निर्धारण का अधिरोपण तथा भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;'';

''(आठ)धारा ७२ के अधीन खातों पर नियत दरों पर निर्धारण किया जाना;'';

(तेईस) धारा १०९ तथा ११० के अधीन निम्नलिखित के लिए रीति तथा प्ररूपों का विहित किया जाना—

(क) अधिकार का अर्जन, प्रज्ञापना की रिपोर्ट करना;

(ख) नामांतरण पूर्व का स्केच, यदि कोई हो;

(ग) अभिस्वीकृति;

(घ) रजिस्टर;

(ङ) लिखित प्रज्ञापना या नोटिस को प्रदर्शित किया जाना;

(च) प्रतिलिपि का प्रदाय;

(छ) लंबित मामलों की जानकारी; और

(ज) फीस का विहित किया जाना.

(तैंतीस) (धारा १४४ (१) के अधीन भू-राजस्व की छूट या उसके निलम्बन का विनियमन;

(पैंतालीस-क) धारा १८१-क के अधीन नगरीय क्षेत्रों में आवासिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रदान किए गए विभिन्न पट्टों को फ्री होल्ड में संपरिवर्तित करने की रीति;

(चौवन) उन ग्रामों के लिये, जो किसी नगरपालिका या किसी नगरपालिक निगम या किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सम्मिलित न हों; ग्रामों की स्वच्छता, जानवरों के शवों को गाड़े जाने, कुओं के संरक्षण तथा उनको लगाये जाने, ग्रामों की सड़कों के समारक्षण का तथा ग्राम स्वायत्त शासन से सम्बन्धित वैसे ही विषयों का विनियमन;

''(सत्तावन-क) धारा २३३-क के अधीन संधारित किए जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना;

(अड़सठ) धारा २५५ के अधीन खेती तथा प्रबंध के मानदण्डों का विहित किया जाना;

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.